खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2001-2002

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2001-2002 की केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी हैं जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजटेत्तर संसाधन (आ.ब.सं.) दोनों शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्य-निष्पादन का अधिक विस्तृत विश्लेषण निष्पादन-बजट में दिया जाएगा जो विकास-संबंधी व्यय से जुड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से पेश किया जाएगा। विवरण 12 में आयोजना आवंटन मंत्रालय/विभाग-वार दिए गए हैं। विवरण 13 में विकास-क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-शीर्षों द्वारा आयोजना-परिव्यय और विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए है। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरों सहित व्यवस्था दर्शाता है।

2000–2001 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के मुकाबले 2001-2002 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001	बजट अनुमान 2001-2002
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट व्यवस्था	51275.60	48268.53	59456.00
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजटेत्तर संसाधन	66058.18	60317.98	70725.34
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**117333.78**	**108586.51**	**130181.34**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**36824.40**	**37969.40**	**40644.00**

केन्द्रीय क्षेत्र की वार्षिक आयोजना 2001-2002 के लिए सकल बजटीय सहायता की राशि 59456.00 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 2001-2002 के लिए आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार हैः-

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 3380.25 करोड़ रुपए है। मुख्य रूप से तिलहन और दाल कार्यक्रमों, फसलोन्मुखी कार्यक्रमों, पादप संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षासिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि विपणन, कृषि अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, भंडारण सुविधाओं सहित फसल बीमा और बागबानी संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटन किया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण, विकासमूलक गतिविधियों के लिए एन.सी.डी.सी. के माध्यम से सहायता, विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए किसानों को दीर्घावधिक कृषि ऋण प्रदान करने, कम विकसित राज्यों में सहकारी समितियों को सहायता देने और उन किसानों, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण की वापसी-अदायगी नहीं कर सकते हैं, की सहायता देने के लिए प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास

वर्ष 2001-2002 के लिए इस क्षेत्र हेतु केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 4449.45 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास का एक विशेष कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो दिनांक 1-4-1999 से प्रभावी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। यह एक सर्वांगीण कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण गरीब किसानों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने और उनकी सृजनशक्ति, प्रशिक्षण, आधारभूत ढ़ांचा विकास, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन आदि जैसे स्व-रोजगार के सभी पक्षों को शामिल किया गया है।

ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना पर आवंटन किया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु ग्राम स्तर पर आवश्यकता आधारित ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिवास हेतु ढांचागत विकास, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण ढांचागत विकास पर केन्द्रित है बल्कि गरीब अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के परिवारों के सबसे अधिक गरीब परिवारों को निजी तौर पर परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराता है और 22.5 प्रतिशत निधियां उनके लिए निर्धारित की गयी हैं। रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत भाग भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की 100 प्रतिशत निधियां ग्राम पंचायतों को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय स्वायत्तता विकसित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है। पंचायतों को ग्राम सभा के अनुमोदन से स्वतंत्र तौर पर 50,000/- रुपए तक के कार्य अपने हाथ में लेने की शक्ति प्रदत्त है ताकि निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। आबंटित निधियों का 15 प्रतिशत भाग इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पत्तियों को अधिक स्थायित्व प्रदान करने हेतु उनके रख-रखाव के लिए निर्धारित है।

रोजगार आश्वासन योजना अकेली रोजगार योजना है और यह सम्पूर्ण देश में चल रही है। वर्ष 2001-02 के लिए बजट प्रावधान में भी काम के लिए भोजन हेतु परिव्यय शामिल है। यह शारीरिक कार्य के जरिए अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करती है तथा सतत रोजगार तथा विकास हेतु स्थायी तौर पर सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन में सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 1999 से नए सिरे से तैयार किया गया है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जहां इस य़ोजना के बुनियादी मानदंड यथास्थित हैं, वहीं योजना के भाग से प्रभावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आवंटन के आधार पर उसमें परिवर्तन किया गया है। निधियों का वहन केन्द्र व राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब केन्द्रीय सहायता का आवंटन राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर देश में कुल ग्रामीण गरीबों की जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जिला परिषदों को उस योजना के तहत "क्रियान्वयन प्राधिकारी" के रूप में पदनामित किया गया है। डीआरडीए को निधियों का आवंटन दो किस्तों में किया जाता है जो इस प्रकार निधियों का 70 प्रतिशत भाग पंचायत समितियों को और शेष 30 प्रतिशत निधियों को जिला परिषदों को अन्तरित करता है और जो इन निधियों का उपयोग आपदाग्रस्त क्षेत्रों में करेंगी।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में डीआरडीए प्रशासन, कैपार्ट योजना पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए किया जाने वाला प्रावधान शामिल है।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-2002 के लिए भूमि संसाधन विभाग हेतु कुल परिव्यय 824 करोड़ रुपए है। इसमें आईडब्ल्यूडीपी के लिए 430 करोड़ रुपए, डीपीएपी के लिए 210 करोड़ रुपए, डीडीपी हेतु, 160 करोड़ रुपए, टीडीईएंडटी के लिए 15 करोड़ करोड़ रुपए तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना शामिल है।

आईडब्ल्यूडीपी एक सतत योजना है जिसमें मुख्य परियोजनाओं को सूक्ष्म-जलसंभर आधार पर हाथ में लिया जाता है। वर्ष 1999-2000 तक स्वीकृत परियोजनाओं को शत-प्रतिशत आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य सूखा संबंधी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो भूमि, जल तथा मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की रणनीति पर आधारित है। यह कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे समतुल्य आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 1999 से आवंटित राशि का वहन वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वीकृत नयी परियोजनाओं के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 179 जिलो में 947 प्रखंडों में संचालित है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडपी) का उद्देश्य दीर्घावधि में पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनः बहाली के लिए भूमि, जल, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित और उनका प्रयोग करने के लिए मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना और सिंचाई, वनारोपण, शुष्क भूमि खेती आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर भी बढ़ाना है। वर्ष 1995-96 से मरुस्थल क्षेत्रों को तीन श्रेणियों यथा-उष्ण रेतीला शुष्क क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र और शीत शुष्क क्षेत्र के अधीन अभिज्ञात किया गया है। दिनांक 1.4.1999 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर आवंटन की भागीदारी की जाती है। तथापि, दिनांक 1.4.1999 के पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं का केन्द्र द्वारा 100% आधार पर वित्तपोषण किया जाता रहेगा। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 227 प्रखण्डों में चल रहा है।

टीडीई एण्ड टी स्कीम के अधीन उन परियोजनाओं को 100% वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सरकारी भूमि पर हैं और निजी भूमि पर स्थित परियोजनाओं की लागत की भागीदारी केन्द्र और किसान निगमित निकाय के बीच 60:40 के अनुपात में की जाती है।

ऊर्जा

विद्युत : 2001-2002 के लिए 12374.67 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (3006.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (1574.89 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (284.00 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (86.72 करोड़ रुपए), नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (894.00 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (1228.17 करोड़ रुपए), भारतीय विद्युत ग्रिड निगम (2869.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (37.00 करोड़ रुपए) और विद्युत मंत्रालय न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1024.21 करोड़ रुपए) और विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

(i) **तापीय और पन बिजली उत्पादन और संबद्ध पारेषण लाइनें** : 3006.00 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय मुख्य रूप से तालचर चरण-I और II (3000 मेगावाट), विंध्याचल-II (1000 मेगावाट)कायमकुलम-I (400 मेगावाट), ऊंचाहार-II (420 मेगावाट), फरीदाबाद गैस (400 मेगावाट), सिम्हाद्रि (1000 मेगावाट)। कवास-II (650 मेगावाट), गांधार-II (650 मेगावाट), अन्ता गैस-II (650 मेगावाट), औरैया-II (650 मेगावाट), तालचर-II (2000 मेगावाट) और रामागुंडम-II (500 मेगावाट) के लिए है। दामोदर घाटी निगम के लिए आयोजना परिव्यय 284.00 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2000-2001 में 10.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए की गयी है।

राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम की निम्नलिखित चल रही और नई परियोजनाओं के लिए 943.25 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता के लिए 1574.89 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैः जिसमें दुलहस्ती (390 मेगावाट), धौलीगंगा (280 मेगावाट), चमेरा-II (300 मेगावाट), कोयलकारो (710 मेगावाट), उरि (480 मेगावाट), रांगिट (60 मेगावाट), कोकतक डाउन स्ट्रीम और तिस्ता चरण-V शामिल है।

भारतीय विद्युत ग्रिड निगम के लिये 2869.00 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय नाथपा झाकरी, गैस किशनपुर-मोगा, टिहरी, टीएल यूएलडीसी दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र, जयपुर-गजुवाका, विंध्याचल,एन-ई एच वी डीसी,बी/बी सीसारम एचवीडीसी तालचर II और सहायक उपकेन्द्रों की स्थापना तथा भार प्रेषण एवं संचार सुविधाओं के निर्माण हेतु दिया गया है।

अन्य प्रावधानों में कठालगुड़ी गैस आधारित उत्पादन परियोजना, कोपिली एच ई परियोजना चरण-II (विस्तार), अगरतला गैस टर्बाइन, टुइरियाल एच ई पी, टुईवाइ एच ई पी, निम्न कोपिली एच ई परियोजना और कामेंग एच ई परियोजना पर होने वाले व्यय के लिए है। आयोजना परिव्यय की सहायतार्थ उत्तर पूर्वी विद्युत निगम को दिए जाने वाले 122.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। 350.00 करोड़ रुपए पी एफ सी को ब्याज सहायता के रूप में मुहैया कराए गए हैं। 386.00 करोड़ रुपए टिहरी हाइड्रो विकास निगम को उसके 748.57 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायतार्थ और 189.00 करोड़ रुपए आर ई सी को प्रणालीगत सुधार परियोजनाओं तथा ओ ई सी एफ सहायता के तहत राज्य बिजली बोर्डों के छोटी एच ई परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। ग्रामीण निर्धनों के सिंगल प्वांइट कनेक्शन देने के लिए कुटीरज्योति कार्यक्रम के लिए 65.00 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

(ii) **अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें** : क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण में सहायता देने के लिए समीप की विद्युत प्रणालियों को जोड़ने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 4.8 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे कि अन्ततः एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण होगा और जिससे उपभोक्ताओं को समुचित और कुशलतापूर्वक बिजली की सप्लाई मिलेगी।

(iii) **अनुसंधान और विकास** : केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, बिजली की आधारभूत और अनुप्रायोगिक-दोनों प्रकार की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य में लगा है। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के लिए 8.4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(iv) **ऊर्जा संरक्षण और अन्य कार्यक्रमः** ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए 9.9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, टी एण्ड डी हानियों को कम करने की प्रोत्साहन योजनाओं सहित ताप बिजली घरों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 9.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

(v) **प्रशिक्षण** : विद्युत केन्द्र के कार्मिकों का प्रशिक्षण और विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, हाट लाइन प्रशिक्षण केन्द्र और विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। ब.अ. 2001-2002 के लिए कुल प्रावधान 10.4 करोड़ रुपए (6.4 करोड़ रुपए एनपीटीआई के लिए,1.03 करोड़ रुपए एचएलटीसी के लिए और 2.98 करोड़ रुपए पीएसटीआई के लिए) है।

पेट्रोलियमः पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का वर्ष 2001-2002 का अनुमोदित योजना परिव्यय 17147.34 करोड़ रुपए है। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 8013.61 करोड़ रुपए,पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 8922.08 करोड़ रुपए, पेट्रो-रसायन के लिए, 174.49 करोड़ रुपए और इंजीनियर्स यूनिटों के लिए 37.16 करोड़ रुपए की राशियां शामिल हैं। संपूर्ण परिव्यय का वित्तपोषण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बजट-वाह्य संसाधनों से किया जाएगा। ओएनजीसी, "गेल", एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओआई एल आदि द्वारा किया गया निवेश परिव्यय का मुख्य संघटक है।

उद्योग और खनिज

लोहा और इस्पातः इस्पात मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय 1299 करोड़ रुपए है। इसमें से 1285 करोड़ रुपए की राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से पूरी की जाती है।

आयोजना व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैः

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 120 करोड़ रुपए, ब्लास्ट फर्नेस सं03 के पुनर्निर्माण के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हेतु, 79 करोड़ रुपए, जारी स्कीमों के लिए राऊरकेला इस्पात संयंत्र हेतु 123 करोड़ रुपए, विश्वश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट, कच्ची सामग्री प्रभाग, केन्द्रीय विपणन संगठन आदि के लिए 41 करोड़ रुपए शामिल करते हुए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि।

(ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि। यह 3 मिलियनटन की इस्पात परियोजना और परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) स्कीमों के लिए शेष भुगतान करने हेतु है।

(ग) जारी स्कीमों, नई स्कीमों, परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर), अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी), टाऊनशिप तथा प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम उद्यमों में निवेश के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनआमडीसी) हेतु 301 करोड़ रुपए की राशि।

(घ) नई स्कीमों, अनुसंधान और विकास, व्यवहार्यता अध्ययन तथा संयुक्त उपक्रम उद्यमों में निवेश के लिए कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड के लिए 282 करोड़ रुपए की राशि।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग : वर्ष 2001-200 के लिए परिव्यय 1455.04 करोड़ रुपए है जिसमें 1265.04 करोड़ रुपए के आन्तरिक तथा बजटेत्तर संसाधन शामिल हैं। सकल परिव्यय का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) एल्यूमीनियम (i) नेलको के लिए 1081.54 करोड़ रुपए और (ii) बाल्को के लिए 50 करोड़ रुपए।

(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) के लिए 25 करोड़ रुपए;

(ग) जस्ता और सीसा (हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) के लिए 130 करोड़ रुपए;

(घ) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 12 करोड़ रुपए

(ड.) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण 120.08 करोड़ रुपए;

(च.) भारतीय खान ब्यूरो 19 करोड़ रुपए;

(छ.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम-9 करोड़ रुपए;

(ज.) सिक्किम खनन निगम 0.42 करोड़ रुपए;

(झ.) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण कार्यक्रम 8 करोड़ रुपए।

उर्वरक उद्योग : वर्ष 2001-2002 के लिए 1157.03 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से 950.03 करोड़ रुपए की राशि आंतरिक तथा बजटबाह्य संसाधनों से पूरी की जाएगी और 207 करोड़ रुपए की शेष राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। 1157.03 करोड़ रुपए का प्रिव्यय प्राथमिक तौर पर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (45 करोड़ रुपए, भारतीय उर्वरक निगम (20 करोड़ रुपए), हिंदुस्तान उर्वरक निगम (190 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (21 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (29.73 करोड़ रुपए), पारादीप फास्फेट लिमिटेड (14.49 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (173.30 करोड़ रुपए), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (217 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (400 करोड़ रुपए) के लिए है।

इंजीनियरी उद्योग : 342.81 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय "भेल" (बीएचईएल), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, भारत यंत्र निगम, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आदि के लिए है।

उपभोक्ता उद्योग : हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड आदि के लिए 102.4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

परिवहन

रेलवे : रेलवे का वर्ष 2001-2002 के लिये 11090 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय है। इसमें से 3450 करोड़ रुपए बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा। इस परिव्यय से प्राप्त किये जाने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों में 3400 कि.मी. के मार्ग का नवीकरण, अतिरिक्त 350 मार्ग कि.मी. का विद्युतीकरण, 160 कि.मी. अतिरिक्त गेज-परिवर्तन, 82 कि.मी. नई लाइनें, 275कि.मी. की डबलिंग और अतिरिक्त 180 लोकोमोटिव्स है।

नौवहनः वर्ष 2001-02 के लिये 975.71 करोड़ रुपए का परिव्यय भारतीय नौवहन उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिये है। इसमें भारतीय नौवहन निगम के लिये 835.71 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

नागर-विमाननः नागर विमानन क्षेत्रक के लिए 2001-02 में 1641.31 करोड़ रुपए के इस परिव्यय में 63.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को 573.66 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र को 6.30 करोड़ रुपए, महानिदेशक, नागर विमानन को 5.50 करोड़ रुपए और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को 5.41 करोड़ रुपए वर्ष 2001-02 के दौरान उनकी योजना स्कीमों के लिये आबंटित किये गये हैं। एयर इंडिया (445.44 करोड़ रुपए), इंडियन एयरलाइंस (460.00 करोड़ रुपए) और पवन हंस हेलीकाप्टर लि. (127.00 करोड़ रुपए) में भी निवेश किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्गः आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सड़क तंत्र का विकास एवं उचित अनुरक्षण महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण आधार सुविधा क्षेत्रक में निवेश को बढ़ाने के लिये उच्च गति डीजल और मोटर-स्प्रिट पर प्रति लीटर 1 रुपए की दर से उपकर लगाकर और इस क्षेत्रक को कर रियायत देकर बजटीय सहायता बढ़ाई जा रही है। नीचे की सारणी में सड़क क्षेत्रक के लिये समग्र बजटीय सहायता को दिखाया गया हैः-

मांग सं0 74-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय *(करोड़ रुपए)*

	क्षेत्र	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
1.	**सड़क क्षेत्र**	**6078.00**	**1635.34**	**7713.34**
2.	**प्रभाग-वार आवंटन**			
	सड़क स्कंध	2544.28	841.04	3385.32
	एनएचएआई	3222.72	...	3222.72
	बीआरडीबी	30.00	794.30	824.30
	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान	281.00		281.00
	जोड़	**6078.00**	**1635.34**	**7713.34**
3.	**कुल बजट का बंटवारा**			
	विदेशी सहायता-परियोजनाएं	1096.72	...	1096.72
	प्रतिभागी	136.00	...	136.00
	उपकर	3162.00	...	3162.00
	अन्य बजट सहायता	1402.28	1635.34	3037.62
	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान	281.00		281.00
	जोड़	**6078.00**	**1635.34**	**7713.34**
4	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **को निधि**			
	निवेश (उपकर निधि से)	2100.00	...	2100.00
	एनएचएआई को ईएपी (अनुदान)	898.00	...	898.00
	एन एच आई को प्रतिभागी	114.00	...	114.00
	एनएचएआई को विदेशी सहायता परियोजनाएं ऋण (विश्व बैंक-III)	110.72	...	110.72
	जोड़	**3222.72**	**...**	**3222.72**
5	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ईएपी का ब्यौरा			
	विश्व बैंक का ऋण	442.00	...	442.00
	एशियाई विकास बैंक ऋण	176.00	...	176.00
	जेबीआईसी ऋण	280.00	...	280.00
	प्रतिभागी-ए.वि.बै का ऋण	44.00	...	44.00
	प्रतिभागी-जेबीआईसी का ऋण	70.00	...	70.00
	जोड़	**1012.00**	**...**	**1012.00**

केन्द्रीय सड़क निधि से/को अन्तर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह

मद	**अन्तर्प्रवाह**	**बहिर्प्रवाह**
केन्द्रीय सड़क निधि		
राज्यों को अनुदान राशि	5962.00	923.00
अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान		98.00
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान		39.00
अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान		2.00
एनएचएआई में निवेश		2100.00
ग्रामीण सड़कें		2500.00
रेलवे		300.00
जोड़	**5962.00**	**5962.00**

संचार

डाक सेवाएंः वार्षिक योजना 2001-02 के लिए डाक विभाग का कुल योजना परिव्यय 135 करोड़ रुपए का है। डाक-नेटवर्क के विस्तार के भाग के रूप में 2001-02 में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय (ईडीबीओ) और 50 विभागीय उप-कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के रूप में विभाग का 1000 बहु उद्देश्यीय काउंटर मशीनें (एमपीसीएम), 400 विस्तारित उपग्रह मनी आर्डर (ईएसएमओ) स्थापित करने और डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। एक अन्य क्षेत्र जिस पर बल दिया जा रहा है, डाक सेवा प्रक्रिया का आधुनिकीकरण है।

दूर संचारः इस क्षेत्रक में योजना परिव्यय मुख्यतया सी-डांट, बेतार आयोजना और समन्वय पर है। अक्तूबर, 2000 से भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के अस्तित्व में आने से दूरसंचार सेवा विभाग के वाणिज्यिक कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड को अन्तरित हो गए हैं। ग्रामीणटेलीफोन सेवा, स्थानीय स्विचिंग क्षमता और डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों के संबंध में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2001-02 में बीएसएनएल के लिए 16,574 करोड़ रुपए और एमटीएनएल के लिए 1814 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है जिसे आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाना है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः वर्ष 2001-2002 के लिए अनुसंधान तथा विकास का योजना परिव्यय मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर, टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, इन्स्टीटयूट आफ प्लाज्मा रिसर्च और नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने वाले अन्य संस्थानों में चल रहे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान

कार्यो को जारी रखने, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने तथा एस विभाग के विभिन्न अनुसंधान और विकास एककों के लिए आवासीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलभ्ध कराने के लिए है।

अंतरिक्ष अनुसंधानः वर्ष 2001-2002 के लिए अंतरिक्ष विभाग हेतु 1710 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल हैः-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 930.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के बड़े आईएसआरओ केन्द्रों, आईएसआरओ इनर्शयल सिस्टम यूनिट, लिक्वड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, आईएसआरओ, सेटेलाइट सेंटर, विद्युत प्रकाशिकी प्रणाली के लिए प्रयोगशाला (एलईओएस)एसएचएआर सेंटर और आईएसआरओ टेलीमीट्री ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क और रडार विकास कक्षा के लिए 359.27 करोड़ रुपए शामिल हैं, दूसरा लांच पेड और पोलर सेटेलाइट लांच वाहन की प्रक्षेपण वाहन परियोजनाओं, जियो-सिक्रोनस सेटेलाइट प्रक्षेपण वाहन, तथा क्रायोजेनिक अपर स्टेज परियोजना, जीएसएलवी एम के-iii/iii विकास सी-20 क्रायो स्टेज विकास और विशाल ठोस बुस्टर के लिए 367.36 करोड़ रुपए की व्यवस्था और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह परियोजनाओं, जी. उपग्रह परियोजनाओं और अन्य उपग्रह परियोजनाओं के लिए 203.85 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए प्रावधान 111.32 करोड़ रुपए का है जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र के लिए 50.20 करोड़ रुपए, विकास और शिक्षा संचार एकक (डीईसीयू) कार्यक्रम के लिए 18 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली के लिए 17.19 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण के लिए 8.61 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मिशन, डिजीटल फोटो ग्रामेटिक वर्क्स स्टेशन और सतत विकास के एकीकृत मिशन के लिए 12.32 करोड़ रुपए शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 53.89 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें 19.12 करोड़ रुपए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 2.03 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय एमएसटी रडार सुविधा के लिए और रेसपोण्ड के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपए और भारत सहस्राब्दि मिशन के लिए 10 करोड़ रुपएः भू-जैव पारि. कार्यक्रम, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं, अन्तरिक्ष विज्ञान प्रयोगों के लिए ध्वनि वाले राकेटों आदि के लिए 15.74 करोड़ रुपए शामिल है।

(iv) इनसेट प्रचालन के अंतर्गत 542.83 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें 7.63 करोड़ रुपए मारटर कन्ट्रोल सुविधा, 35.2 करोड़ रुपए इनसेट-2 उपग्रह परियोजना जिसमें इनसेट-2 थाइकाम सेटेलाइट से ट्रांसपौंडरों को पट्टे पर लेने के लिए प्रावधान शामिल है और 500 करोड़ रुपए इनसेट 3 उपग्रह परियोजना जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं, के लिए है।

(v) केन्द्रीय प्रबंध, विशेष देशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 71.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सेवाएं

प्राथमिक शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए वार्षिक योजना 2001-02 में 4000 करोड़ रुपए का आयोजना आवंटन किया गया है। महत्वपूर्ण आयोजना स्कीमों में आपरेशन ब्लेकबोर्ड, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान शामिल हैं।

आपरेशन ब्लेक बोर्डः यह योजना 1987-88 में शुरु की गई थी। इसका लक्ष्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक चरणबद्ध रूप में आवश्यक सुविधाएं अर्थात दो शिक्षक और अध्यापन शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना है। इस स्कीम का विस्तार किया गया है और 1993-94 से जिन प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या 100 से अधिक है उनमें तीसरे अध्यापक/तीसरे कक्ष की व्यवस्था की जानी है और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। इस स्कीम में योजना अवधि के दौरान अध्यापन शिक्षण उपकरणों और अध्यापकों के वेतन के लिए शत प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमः जैसा कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीई) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) - 1986 में परिकल्पित है देश में एक सक्षम संस्थागत आधारभूत ढांचा खड़ा करने हेतु शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और ज्ञान के सतत उन्नयन, देश में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के सामर्थ्य और शैक्षणिक कौशल बढ़ाने के लिए 1987 में अध्यापक शिक्षा की पुनर्सरंचना और पुनर्गठन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरु की गई थी। इस स्कीम के पांच घटक हैंः-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और उनमें से कुछ का शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों के रूप में विकास करना;

(iii) राज्यों के शैक्षणिक अनुसंधानऔर प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण

(iv) विद्यालय अध्यापकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम और अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा पद्धति शुरु करना और

(v) **विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबन्धन में सहभागिता प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है, छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न गतिविधियों जिनका उद्देश्य विद्यालयों में भर्ती बढ़ाना और छात्रों की निरन्तरता बनाए रखना, पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या घटाना और ज्ञानार्जन में वृद्धि करना है, के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में फिर से नई जान फूंकने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी हैऔर इसमें ऐसी नीतियों को विकसित करने का प्रयास किया गया जो अनुकरणीय और सतत आधार पर चलने वाली हों। कार्यक्रम में इस समय 15 राज्यों में 219 जिलों को शामिल किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)ः देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना और इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण में अभिवृद्धि करना था।

कार्यक्रम का अन्तिम लक्ष्य पौष्टिक पके हुए प्रसंस्कृत भोजन की व्यवस्था करना है जिसमें 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर कैलोरी हो और इसका वितरण पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से किया जाना है जिनको इस प्रयोजन हेतु संस्थागत प्रबन्ध विकसित करना है।

सर्व शिक्षा अभियानः यह मिशन के रूप में तथा एक सर्वागीण और अभिमुखी नीति से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस नए ढांचे के तहत केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रेणी में राज्यों की भागीदारी एवं परामर्श से प्राथमिक शिक्षा के सभी विद्यमान कार्यक्रमों को समाविष्ट किया जाना है। सर्व-शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित हैंः-

(i) वर्ष 2003 तक सभी 6-14 आयु के स्कूली बच्चे / ईजीएस केन्द्र/ सेतु पाठ्यक्रम

(ii) वर्ष 2007 तक 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।

(iii) वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लें।

नीति सामुदायिक आधार की होगी और पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेंगी।

ग्रामीण आवास : जवाहर रोजगार योजना के उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना मई, 1985 में आरम्भ की गयी थी। पहली जनवरी, 1996 से इसे स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को या उनके निकट संबंधी को भी प्रदान किया गया है। ये लाभ, अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिस सीमा तक वे इंदिरा आवास योजना की सामान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते है प्रदान किए गए हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। मैदानी इलाके में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की सीमा 20,000/- रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22000/- रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10,000/- रुपए की दर से अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने की योजना भी आरम्भ की गयी है। इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत राशि इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की जाती है। इन निधियों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। दिनांक 1-4-1999 से आरम्भ की गयी ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना अब प्रचालन में है और 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु है। पहले ये सरकार की इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते थे लेकिन इस प्रकार की पहल ने उन्हें अपने मकान होने की हकदारी प्रदान की है। मैदानी इलाकों में प्रति पात्र परिवार को 10,000/- रुपए तक और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 11,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण परिवार के ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए हुड़को को इक्विटी पूंजी की सहायता भी मुहैया करायी जाती है। ऐसे इलाकों में जहां सफाई और पेय जल की आवश्यकताओं पर भी उचित ध्यान दिया जाना जरुरी है, समग्र रुप से बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए दिनांक 1.4.1999 से समग्र आवास योजना नामक स्कीम आरम्भ की गयी है। लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों सामग्री और डिजाइन आदि को संवर्धित करने और उन्हें प्रचलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवासन और आवास विकास की नवीन श्रृंखला नामक एक योजना भी प्रचालन में है।

शहरी विकास :तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरीकरण और बुनियादी आधार सुविधाओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तर, शहरी- आबादी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरणिक ह्रास को देखते हुए विकास योजना, संसाधन जुटाव, क्षमता निर्माण, उत्तरदायित्वपूर्म प्रशासन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं का समावेश करते हुए एक एकीकृत शहरी प्रबंधन नीति तैयार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

शहरी विकास के लिये परिव्यय में लघु एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास, महानगर-स्कीमों, जलापूर्ति एवं सफाई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी एवं शहरी कूड़े-कचरे के निपटान में प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग और प्रबन्ध सूचना प्रणाली, सफाई कर्मचारियों को मैला उठाने से मुक्ति हेतु कम लागत की सफाई, शहरी विकास एवं यू.डब्ल्यू.एस.वित्त निगम/ हुडको को इक्विटी हेतु प्रावधान शामिल है। छोटे नगरों में ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के विस्तार, ओ.ई.सी.एफ. से हुडको को सीधे विदेशी ऋण, अत्यधिक जल संकट वाले बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति स्कीम सहायता और देश के कुछ चुने हुए शहरों में विकास पत्तनों के समीप ठोस कूड़ा-कचरा प्रबन्धन की पायलट परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

परिवार कल्याण : बढ़ती हुई जनसंख्या आज राष्ट्र के सम्मुख आने वाली संगीन समस्याओं में से एक है परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के रुप में जारी है। वर्ष 2001-2002 के लिए 4210 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।.

स्वास्थ्य : वार्षिक योजना 2001-2002 में स्वास्थ्य के लिए कुल परिव्यय 1432.74 करोड़ रुपए का है। इस व्यय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (168 करोड़ रुपए), क्षय रोग केन्द्रीय कार्यक्रम (122 करोड़ रुपए), कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (67 करोड़ रुपए), एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (180 करोड़ रुपए) और रोहा एवं स्लाइडर्स नियंत्रण कार्यक्रम (126 करोड़ रुपए) हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आदि में चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के प्रयोजन के लिए भी आयोजना आबंटन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो योजना परिव्यय प्राप्त करते हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण, औषधि-मानक नियंत्रण कार्यक्रम आदि हैं।

कल्याण

जनजातीय कार्य : वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 240 करोड़ रुपए के आवंटन में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति(63 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान (27 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना (12.50 करोड़ रुपए), लघु वनोत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान (12 करोड़ रुपए) आदि शामिल है।

सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए वार्षिक योजना 2001-02 में 1350 करोड़ रुपए के आवंटन में अनुसूचित जाति संघटक योजनाओं हेतु, विशेष केन्द्रीय सहायता (407.70 करोड़ रुपए), मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (154.63 करोड़ रुपए), विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक क्रियाकलाप संवर्धन स्कीम (58.50 करोड़ रुपए), विकलांगों के लिए सहायता एवं उपस्कर (42.41 करोड़ रुपए), सिविल अधिकार सेरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 का कार्यान्वयन(29.50 करोड़ रुपए, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग एवं रोकथाम के लिए शैक्षणिक कार्य (20.25 करोड़ रुपए), सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (74 करोड़ रुपए) और पशु कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमें (15.56 करोड़ रुपए) शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण : "अन्नपूर्णा" स्कीम के अन्तर्गत उन सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है जो यद्यपि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्कीम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)एक केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें इसके (i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और (iii) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम, इन तीनों के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिये राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधि पोषण किया जाता है। इस कार्यक्रम को 15-8-1995 से लागू किया गया। एन.एस.ए.पी. गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति प्रदान करता है। परन्तु तीसरे घटक अर्थात राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम को अब 2001-02 से परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह गरीब परिवारों के लिए एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है और इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकारों के समवर्ती उत्तरदायित्वों को समझते हुए संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में निहित निर्देशक सिद्धान्तों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदर्शित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे वृद्धों जिनके भरण-पोषण के नियमित साधन नहीं हैं या बहुत थोड़े साधन हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को उनके मुख्य रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यहां राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय लाभ 75 रुपए प्रतिमाह है, वहां राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ 10,000 रुपए है। लाभार्थियों का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायतें/ नगरपालिकाएं उत्तरदायी हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभों का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा, सार्वजनिक बैठकों में और शहरी क्षेत्रों में पड़ोसी/ मौहल्ला समितियों में किया जा सकता है।